

नगर परिषद, हनुमानगढ़

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम २००९ की धारा की अन्वयेण)

क्र-१३३०३

अनापत्ति प्रमाण पत्र

दिनांक - 13/02/24

आवेदन नं.:

LSG/HANUMANGARH/FIRENOC/2023-24/26605

जारी दिनांक:

13-FEB-2024

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती:

MEENU GUPTA

आवेदक का पता:

NEAR PHED ABOHAR BY PASS ROAD

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन DAV CENTENARY PUBLIC SCHOOL, 0, ABOHAR BY PASS, HANUMANGARH JUNCTION, HANUMANGARH, HANUMANGARH, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तें:-

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने कि तिथि से एक वर्ष कि अवधि हेतु ही मान्य होगा। एक वर्ष बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा अनापत्ति स्वतः विरस्त मानी जावेगी।
2. भवन के समस्त स्टाफ व शिक्वोरिटी गार्डस को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा परिशिक्षण दिलाता आवश्यक होगा।
3. अग्निशमन उपकरण समयवधि में रिपेयर कराना होगा।
4. निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
5. यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
6. भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नही पाए जाने कि स्थिति में यह अधिांश पत्र विरस्त माना जाएगा।
7. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
8. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घंटे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए एम सी करवाची जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
9. फायर साहल आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
10. भवन के अंदर किराी भी प्रकार का डिस्कोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नही रखा जावे।
11. रोप लेडर व टी रस्सा भवन के सभी टावर में टावर कि उंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
12. यह अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
13. भूमि व भवन संबंधित किराी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साह्य मान्य नही होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
14. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र ऑनलाइन रेस्टोरेट के लिए मान्य नही है। जिस भाग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है वहा पर ऑनलाइन रेस्टोरेट का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।

संस्था सचिव

स्कूल प्रमाण समिति

डी.ए.पी.

हनुमानगढ़ नगर

Signed by Mohammed Yunus
Issuing Authority DC/EO/Commissioner
Location HANUMANGARH, Rajasthan
Date: 13/02/2024

अग्निशमन अधिकारी
महा अग्नि शमन अधिकारी
नगर परिषद, हनुमानगढ़